

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (ग्रामीण)

सी-5 विद्युत मण्डल परिसर, गुढ़ियारी, रायपुर (छ.ग.) 492009

Email Id :- ecgrf.raipur@cspc.co.in, Phone No. 0771-2593112

क्रमांक / विजशिनिफोरा / 2026 / 28

रायपुर, दिनांक 20 MAY 2026

प्रति,

1. श्री सुभाष चंद जैन,
मेसर्स दिनेश इण्डस्ट्रीज,
ग्राम हरफतरई, जिला धमतरी (छ.ग.)
मो.नं. 9329173000, 9407617539
2. अधीक्षण अभियंता (संचा/संधा) वृत्त,
छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

विषय :- प्रकरण क्रमांक / 10 / रायपुर(ग्रा.) / 2026 पर पारित आदेश ।

=0000=

विषयान्तर्गत प्रकरण पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर ग्रामीण द्वारा पारित
आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित है ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।



(अशोक खण्डेलवाल)

अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, रायपुर (ग्रामीण)

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता (रायपुर ग्रामीण क्षेत्र), छ.स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि.,
रायपुर ।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (ग्रामीण)
सी-5 विद्युत मण्डल परिसर, गुड़ियारी, रायपुर

विषय:- माह फरवरी 2026 का अत्यधिक खपत का बिल बाबत ।

प्रकरण क्रमांक / 10 / रायपुर(ग्रा.) / 2026

श्री सुभाष चंद जैन,

....आवेदक

मेसर्स दिनेश इण्डस्ट्रीज,

ग्राम हरफतरई, जिला धमतरी (छ.ग.)

मो.नं. 9329173000, 9407617539

विरुद्ध

अधीक्षण अभियंता (संचा/संधा) वृत्त,

....उत्तरवादी

छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

निर्णय

(दिनांक 20/05/2026 को घोषित)

1. आवेदक श्री सुभाष चंद जैन द्वारा प्रस्तुत मूल शिकायत दिनांक 09.03.2026 यह है कि "Till date as on 09/03/26 the bill is not generated by the system.

As per billing month FEB 2026 there is huge difference in the meter reading in KWH and KVAH but for the month of JAN 26 there is no such difference. We request you to kindly provide day wise meter reading for the BP No. 1001812 So as to rectify the problem in the billing attachment bill for the Feb 2026."

2. यह कि उत्तरवादी प्रतिनिधि कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग, छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., धमतरी ने अपने जवाबदावा पत्र क्रमांक 7701 दिनांक 12.03.2026 को सूचित किया है कि :-

(i) उपभोक्ता श्री सुभाष चंद जैन ग्राम हरफतरई में एच.टी. विद्युत कनेक्शन स्थापित है । जिसका उपभोक्ता क्रमांक 1001812 है उक्त एच.टी. विद्युत कनेक्शन मेसर्स दिनेश इण्डस्ट्रीज ग्राम हरफतरई हेतु स्थापित है ।



(ii) - उपभोक्ता का बिल सैप में जनरेट होते ही ऑटोमेटिक उपभोक्ता के मेल में बिल भेज दिया जाता है । दिनांक 12.03.2026 को उपभोक्ता को बिल कार्यपालन अभियंता के मेल आईडी से मेल कर दिया गया है ।

फोरम के समक्ष उभयपक्षों द्वारा रखे गये तथ्यों का विवरण :- दिनांक 06.05.2026 को फोरम के समक्ष उभयपक्षों द्वारा उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जो कि निम्नानुसार है :-

3. यह कि ग्राम हरफतराई, धमतरी स्थित आवेदक के परिसर में मेसर्स दिनेश इंडस्ट्रीज के नाम पर 265 के.व्ही.ए. भार का उच्चदाब (33 के.व्ही.) विद्युत कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1001812 के माध्यम से उत्तरवादी द्वारा प्रदाय किया गया है ।

4. यह कि आवेदक के अनुसार उत्तरवादी द्वारा प्रेषित माह फरवरी 2026 के देयक में दर्ज KWh reading एवं KVAH reading में अत्यधिक अंतर दर्शित हो रहा है जो कि पूर्व अवधि के देयकों में दर्ज ऐसे अंतर की तुलना में असामान्य है । न तो इसके पूर्व के माह जनवरी 2026 के देयक में ऐसा अंतर दिखायी दे रहा है और न ही इसके बाद के माह मार्च 2026 में ऐसा असामान्य अंतर दिखायी दे रहा है । अपने परिसर में स्थापित मीटर की कार्यप्रणाली के त्रुटिपूर्ण होने अथवा उत्तरवादी की विद्युत प्रणाली में आयी किसी गड़बड़ी के कारण माह फरवरी 2026 के अपने विद्युत देयक में दर्ज KWh reading एवं KVAH reading में अत्यधिक अंतर आने का संदेह प्रकट करते हुए आवेदक द्वारा उत्तरवादी के आनलाईन विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण पोर्टल के टीयर-2 में शिकायत (CGRFT2R30000178) दर्ज करायी गयी एवं अपने मीटर में माह फरवरी 2026 में दर्ज तिथिवार रीडिंग की जानकारी उपलब्ध कराए जाने की मांग की गयी । आवेदक द्वारा माह फरवरी 2026 के देयक के निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने संबंधी शिकायत भी उत्तरवादी के आनलाईन विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण पोर्टल के टीयर-2 में (CGRFT2R30000161) दर्ज करायी गयी है ।

5. यह कि माह फरवरी 2026 का देयक के अत्यंत विलंब से प्राप्त होने एवं विलंब से प्राप्त देयक में दर्ज KWh reading एवं KVAH reading में अत्यधिक अंतर दर्शित होने के संबंध में उत्तरवादी को सूचित किए जाने के बाद भी उत्तरवादी द्वारा समुचित जानकारी उपलब्ध न कराए जाने से असंतुष्ट



होकर आवेदक द्वारा आनलाईन विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण पोर्टल के माध्यम से प्रकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

6. यह कि कार्यपालन अभियंता धमतरी द्वारा पत्र क्रमांक 7701 दिनांक 12.03.2026 के माध्यम से जानकारी प्रदान की गयी है कि उच्चदाब उपभोक्ताओं का देयक सैप सिस्टम में तैयार होते ही उपभोक्ता के मेल में प्रेषित कर दिया जाता है । यद्यपि यह भी लेख किया गया है कि दिनांक 12.03.2026 को उपभोक्ता को, उसके माह फरवरी 2026 का विद्युत देयक कार्यपालन अभियंता के मेल आई डी से मेल कर दिया गया है ।

उत्तरवादी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 660 दिनांक 05.05.2026 के माध्यम से आवेदक द्वारा मांगी गयी, अपने मीटर में दर्ज माह फरवरी 2026 की तिथिवार रीडिंग की जानकारी फोरम के समक्ष प्रस्तुत की गयी ।

7. प्रस्तुत प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि –

अ. क्या आवेदक के मीटर एवं तदनुसार माह फरवरी 2026 के देयक में दर्ज KWh reading एवं KVAH reading में अत्यधिक अंतर दर्शित होने के लिए उत्तरवादी जिम्मेदार है ।

ब. क्या उत्तरवादी द्वारा दिनांक 12.03.2026 को, आवेदक को माह फरवरी 2026 के देयक का प्रेषित किया जाना सप्लाय कोड के प्रावधानों के अनुसार है ।

विवेचना एवं निष्कर्ष

8. यह कि दिनांक 06.05.2026 को फोरम के समक्ष सुनवाई के दौरान उपस्थित आवेदक द्वारा अपने विद्युत कनेक्शन के विगत एक वर्ष की अवधि के खपत के आंकड़ों का संदर्भ प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि माह फरवरी 2026 के पूर्व की एक वर्ष की अवधि में उसके मीटर में दर्ज अधिकतम खपत 43000 KVAH तक रही है जबकि माह फरवरी 2026 में यह खपत असामान्य रूप से बढ़कर 72187 KVAH हो गयी एवं अधिकतम मांग भी अनुबंधित भार से अधिक दर्ज हुई है । आवेदक के परिसर स्थित मीटर की रीडिंग मैनुअल तरीके से न होकर आटोमैटिक तरीके से उत्तरवादी के बिलिंग सिस्टम में दर्ज होती रही है । आवेदक के अनुसार माह फरवरी 2026 के देयक में दर्ज खपत उसके द्वारा अपने परिसर में इस अवधि में किए गए विद्युत के उपयोग के अनुसार नहीं है ।



आवेदक द्वारा अपने परिसर स्थित मीटर एवं ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली की जांच करते हुए अपने माह फरवरी 2026 के देयक को पूर्व अवधि की खपत के औसत के अनुसार संशोधित किए जाने एवं माह फरवरी 2026 में उसकी अधिकतम मांग के अनुबंधित भार से अधिक होने के कारण उत्तरवादी द्वारा की गयी पेनल बिलिंग को निरस्त किए जाने का निवेदन फोरम के समक्ष किया गया ।

9. यह कि फोरम के समक्ष ही उत्तरवादी द्वारा आवेदक को उनके परिसर स्थित मीटर में माह फरवरी 2026 में दर्ज तिथिवार रीडिंग संबंधी एम.आर.आई. रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करायी गयी ।

10. यह कि फोरम द्वारा आवेदक को इस संबंध में बताया गया कि मीटर में दर्ज आंकड़ों से यह तो स्पष्ट होता है कि माह फरवरी 2026 में उसके परिसर स्थित मीटर में दर्ज KWh reading एवं KVAH reading में अंतर पूर्व अवधि के देयकों की तुलना में अत्यधिक एवं असामान्य है लेकिन ऐसा अंतर किन कारणों से मीटर द्वारा दर्ज किया गया इसका सही सही आकलन किया जाना उत्तरवादी के लिए संभव नहीं है । चूंकि मीटर द्वारा उपभोक्ता परिसर में किए जाने वाले विद्युत उपयोग के अनुरूप ही खपत को दर्ज किया जाता है अतः आवेदक के परिसर में घटने वाली किसी असामान्य परिस्थिति का आकलन उत्तरवादी की अपेक्षा स्वयं आवेदक द्वारा ही सही प्रकार से किया जाना संभव है ।

मीटर की एम.आर.आई. रिपोर्ट से प्राप्त तिथिवार रीडिंग के आंकड़ों से माह फरवरी की अवधि विशेष में मीटर में दर्ज KWh reading एवं KVAH reading में अंतर का सामान्य से अधिक होना दर्शित होता है । संभवतः इसी अवधि में आवेदक की आंतरिक विद्युत प्रणाली से जुड़े किसी उपकरण के त्रुटिपूर्ण तरीके से कार्य करने के कारण KWh reading एवं KVAH reading में अंतर आने की परिस्थिति निर्मित हुई । फोरम द्वारा आवेदक को बताया गया कि उत्पादन बंद रहने की स्थिति में भी उनके परिसर स्थित APFC (Automatic power factor control relay) के चालू रहने से ऐसी स्थिति का निर्मित होना संभव है ।

11. यह कि उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदक के मीटर में माह फरवरी 2026 में दर्ज तिथिवार रीडिंग एवं अन्य आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए उत्तरवादी के



कार्यपालन यंत्री (एम.टी.-2) रायपुर द्वारा फोरम को यह बताया गया कि कुछ परिस्थितियों में ऐसा संभव है कि उपभोक्ता के परिसर में विद्युत का (KWH) उपयोग न होने पर भी उसके मीटर में KVAH reading लगातार बढ़ते क्रम में दिखायी दे । विद्युत का उपयोग न होने की स्थिति में भी उपभोक्ता परिसर में स्थापित कैपेसिटर का विद्युत प्रणाली के साथ जुड़ा रह जाना भी ऐसी स्थिति निर्मित होने का एक कारण हो सकता है ।

12. यह कि फोरम ऐसी किसी संभावना को खारिज नहीं करता है कि उत्तरवादी की विद्युत प्रणाली अथवा आवेदक के परिसर स्थित मीटर में किसी तकनीकी त्रुटि का होना भी आवेदक के मीटर में माह फरवरी 2026 में दर्ज KWh reading एवं KVAH reading में असामान्य अंतर दर्ज होने का एक कारण रहा हो जैसा कि आवेदक द्वारा भी अपने आवेदन में उल्लेख किया गया है । फोरम यह आवश्यक समझता है कि उत्तरवादी द्वारा आवेदक के परिसर स्थित विद्युत मीटर की समुचित जांच की जाए ताकि आवेदक द्वारा प्रस्तुत, मीटर में होने वाली किसी तकनीकी त्रुटि अथवा उसकी कार्यप्रणाली संबंधी शंकाओं का उचित निराकरण किया जा सके । आवेदक द्वारा यह भी दावा किया गया कि उसके परिसर स्थित मीटर का स्क्रीन लंबी अवधि से डिस्प्ले आफ है जिसकी जांच करते हुए अविलंब मीटर बदला जाना उचित होगा ।

13. यह कि आवेदक द्वारा फोरम के समक्ष यह कथन किया गया कि माह फरवरी 2026 का देयक उसे अत्यधिक विलंब से प्राप्त हुआ है यद्यपि यह भी स्वीकार किया गया कि इससे पूर्व एवं बाद के महीनों में विद्युत देयक निर्धारित समयावधि में प्राप्त होते रहे हैं । कार्यपालन अभियंता धमतरी द्वारा पत्र क्रमांक 7701 दिनांक 12.03.2026 के माध्यम से जानकारी प्रदान की गयी है कि दिनांक 12.03.2026 को उपभोक्ता को, उसके माह फरवरी 2026 का विद्युत देयक कार्यपालन अभियंता के मेल आई डी से मेल किया गया ।

अवगत हो कि सप्लाई कोड की कंडिका 9.15 यथा "The licensee shall distribute the bills to consumers at least not less than seven days before the due date for payment in cash." के अनुसार भुगतान की अंतिम तिथि के कम से कम 07 दिवस पूर्व उपभोक्ताओं को देयक का वितरण किया जाना है । फोरम, उत्तरवादी को निर्देशित करता है कि देयक



वितरण के लिए सप्लाई कोड में दी गयी समय सीमा का पालन किया जाना सुनिश्चित करें ।

14. यह कि फोरम, उत्तरवादी को निर्देशित करता है कि आवेदक के परिसर स्थित मीटर के कनेक्शन एवं कार्यप्रणाली की जांच, इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराते हुए 07 दिनों के भीतर किया जाना एवं इसकी रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए फोरम को सूचित किया जाना सुनिश्चित करें । एतद् कृत कार्यवाही के उपरांत आदेश का पालन प्रतिवेदन रिपोर्ट 30 दिवस के अंदर फोरम कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।

15. आदेश पारित ।

16. प्रकरण निराकृत ।

17. अनावेदक पालन प्रतिवेदन 30 दिवसों के अन्दर देवें ।

18. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो 45 दिन के अंदर विद्युत लोकपाल में अपील कर सकता है ।

मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया ।

निर्णय घोषित किया गया



(अशोक खण्डेलवाल)

अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम रायपुर (ग्रामीण)